प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला निबंधक
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या 4209-64/ I-216 दिनांक 10-5-82

विषय :- रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग-2 के नियम 327 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

रजिस्ट्रेशन मैनुअल फार उत्तर प्रदेश (संशोधन) नियमावली, 1972 द्वारा प्रतिस्थापित नियम 32, जिसका प्रकाशन दिनांक 7 जुलाई के सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में हो चुका है का मूल पाठ इस प्रकार है :

327(1)(क)- किसी सम्पत्ति के सम्बध में भारग्रस्तता, यदि कोई हो, का पता लगाने का इच्छुक कोई व्यक्ति, पुस्तक 1 तथा 2 और अनुक्रणिका 1 तथा 2 का अन्वेशण करने के लिए आवेदन कर सकता है और नियत शुल्क का भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पूर्ववर्ती बारह वर्षों की भारग्रस्तता, यदि कोई हो, के पूर्ववर्ती बारह वर्षों की उक्त पुस्तको तथा अनुक्रमणिकाओं का एतद पश्चात व्यवस्थित रीति से अन्वेषण करायेगा और ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के सात दिन के भीतर प्रपत्र 29, परिशिष्ट 3 में उसके परिणाम का एक प्रमाण-पत्र देगा।

(क) यदि उपर्युक्त खण्ड क के अधीन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो बारह वर्ष से कम अवधि के लिए अनुपूरक अन्वेषण प्रमाण पत्र अनुपातिक शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रार्थी मूल अन्वेषण प्रमाण-पत्र अथवा इस आशाय का एक शपथ पत्र (एफीडेविट) कि उसने इसको पूर्व ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, प्रस्तुत करें |

(2) भारग्रस्तता के प्रत्येक प्रमाण पत्र में प्रश्नगत सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले समस्त कार्यों तथा भार ग्रस्तताओं की सम्पूर्ण सूची दी जायेगी|

(3) किसी कार्यालय से जारी किए गये प्रत्येक भारग्रस्तता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि रख ली जाएगी जिसे किसी पृथक नस्ति पुस्तक में, जिसमें विभिन्न प्रमाण पत्र प्रत्येक कलेन्डर वर्ष के लिए पृथक श्रंखला में क्रमवार संख्यांकित किए जायेगें, नत्थी किया जाएगा।

2- इस प्रकार उक्त संशोधन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती नियम में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है वे सारांश रूप में निम्नांकित है।

(1) अब कोई भी व्यक्ति उचित शुल्क का भुगतान करके उप निबन्धक से सम्पत्ति के सम्बन्ध में भार प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है जबकि इससे पूर्व केवल डिग्रीदार तथा सिविल प्रोसीजर कोड के आर्डर XII के नियम 5,6,8, अथवा 10 के उपबंधों के अधीन अचल सम्पत्ति हाईपोथीकेट करते हुए जमानतनामा दाखिल करने के इच्छुक या अन्यथा न्यायालय के किसी आदेश से ऐसा करने के इच्छुक व्यक्ति ही भार प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते थे|

(2) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को पूर्ववर्ती 12 वर्षों की पुस्तकों तथा अुनक्रमणिकाओं (Books & Index) का व्यवस्थित रीति से अन्वेषण कराना है जिससे अधिक अवधि का भार ग्रस्तता प्रमाण पत्र जारी करने का प्राविधान इस प्रतिस्थापित नियम के अन्तर्गत नहीं है। यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि यदि उपर्युक्त् नियम के खण्ड-क के अधीन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो खण्ड-ख के अन्तर्गत 12 वर्ष से कम अवधि के लिए अनुपूरक अन्वेषण प्रमाण पत्र अनुपातिक शुल्क का भुगतान करने पर

जारी किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रार्थी मूल अन्वेषण प्रमाण पत्र अथवा इस आशय का एक शपथ पत्र (एफीडेबिट) कि उसने इसकेपूर्वऐसा प्रम्राण पत्र पाप्त किया था, प्रस्तुत करें |

(3) भार ग्रस्तता के प्रत्येक प्रमाण पत्र में प्रश्नगत सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले समस्त कार्यों तथा भारग्रस्तताओं की सम्पूर्ण सची दी जानी चाहिए केवल भारग्रस्तता का ही अंकित किया जाना पर्याप्त न होगा।

(4) उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ उप निबंधक को अवगत कराते हुए कृपया उन्हें कड़ाई से पालन करने हेतु निदेश दिये जायें।

भवदीय

राममोहन सिंह
महानिरीक्षक, निबंधन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या 4265-488/I-216 दिनांक 10-5-82

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त उपनिबंधक, उत्तर प्रदेश|
2- उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर|
3- लघु उद्योग निगम, कानपुर|
4- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, कानपुर|

राममोहन सिंह
महानिरीक्षक, निबंधन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या 4489-/I-216 दिनांक 10-5-82

प्रतिलिपि 5 प्रतियों सहित संयुक्त सचिव, वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग दिनांक 5 नवम्बर, 81 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

राममोहन सिंह
महानिरीक्षक निबंधन
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद|